

आदेश की क्रम सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख के
साथ

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 155/14-15 राम दहीन पासी वनाम् जिम्मेदार यादव एवं अन्य आदेश

28.02.15

आवेदक राम दहीन पासी, पिता-श्री सुकन पासी, ग्राम-अमरा, पोस्ट-रामपुर वैना, थाना-परासी, जिला-अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर अधिकारों का प्रख्यापन करने एवं भूमि की मापी कराकर दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम-अमरा, थाना नं० 96, थाना-परासी, जिला-अरवल में अवस्थित है निम्न है:-

खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी
173	499	3 डी०	उत्तर-सड़क, दक्षिण-नीज खेसरा, पूरब-तिलंगी चौधरी, पश्चिम-रामनाथ चौधरी

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षीगण उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) विवादित भूमि आवेदक को बन्दोबस्ती परवाना के माध्यम परवाना नं० 06 केस नं० 01/2011-2012 से प्राप्त भूमि है।
- (2) विवादित भूमि का डिमाण्ड आवेदक के नाम से कायम है तथा राजस्व का भुगतान कर रहे हैं।
- (3) विपक्षी नं० 1 बिना कोई आधार के विपक्षी नं० 02 के सहयोग से भूमि पर अवैध एवं अनाधिकृत रूप से मकान बनाना चाहते हैं।
- (4) विवादित भूमि को सरकारी अमीन से मापी कर चिन्हित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में माँगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षीग के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) वाद में वर्णित प्लॉट नं० 499 से प्रतिवादी का खरीदी वसिका पर अंकित प्लॉट नं० 520/515/516 से मेल नहीं खाता है, लेकिन वादी के वाद पत्र में अंकित चौहद्दी से प्रतिवादी के खरीदी वसिका से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

4

(2) विवादित भूमि प्रतिवादी अपने पत्नी सुभगिया देवी के नाम से दिनांक 13.06.12 को रामप्रवेश तिवारी को जगदीश तिवारी से निबंधित केवाला के माध्यम से खरीद कर दखल कब्जा में चले आ रहे हैं।

(3) विवादित भूमि के अलावे अन्य भूमि का डिमाण्ड विपक्षी की पत्नी के नाम से चल रहा है और राजस्व का भुगतान करते चले आ रहे हैं।

(4) विवादित भूमि पर विपक्षी का मकान पूर्ण रूप से तैयार है और मकान में आर, नॉद, चरण बना हुआ है जिसपर खरीदी के समय से जानवर बाँधने का कार्य कर रहे हैं।

(5) विवादित भूमि का कुल रकवा $3\frac{1}{2}$ विगहा है प्लॉट पर वादी एवं प्रतिवादी के अलावे कई ग्रामीण व्यक्तियों का आवासीय पक्का मकान बना हुआ है एवं कुछ जमीन परति है। लेकिन बन्दोबस्ती परचा प्रतिवादी के बना मकान की भूमि पर गलत तरीके से निर्गत कराया जा चुका है।

(6) विवादित भूमि के विक्रेता के दादी स्व० नागो कुँवर के नाम से स्लोनों स्टेट के द्वारा वर्ष 1940 में बन्दोबस्ती से जमीन हासिल हुआ था जो नागो कुँवर के नाम से डिमाण्ड चला एवं बाद में विक्रेता के नाम से लम्बे समय से डिमाण्ड के आधार पर राजस्व रसीद कट रही है।


(7) प्रतिवेदी अपनी पत्नी के नाम से खरीदकर खरीदी के समय से लगातार उक्त जमीन पर शांतिपूर्वक मकान निर्माण कर दखल काबिज है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज किया जाता है।


उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने विवादित भूमि पर दावा भूमि बंदोबस्ती परवाना के आधार पर किया है जो उन्हें वाद संख्या 1/2011-2012 परवाना नं० 6 से प्राप्त है। दूसरी ओर विवादित भूमि पर विपक्षी संख्या 01 का दावा उनकी पत्नी के नाम केवाला से प्राप्त भूमि है। परन्तु उपरोक्त केवाला में अंकित प्लॉट नं० एवं चौहद्दी भिन्न है अर्थात् विपक्षी संख्या 1 की भूमि विवादित भूमि से भिन्न है।

चूँकि आवेदक एक प्रश्रय प्राप्त रैयत है जिनकी हित की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। अतः विवादित भूमि पर आवेदक के अधिकारों का प्रख्यापन किया जाता है। विपक्षी को निर्देश दिया जाता है कि वे एक माह के अंदर विवादित भूमि से अपना कब्जा हटाकर आवेदक को कब्जा सौंपें। साथ ही अंचल अधिकारी, अरवल को आदेश दिया जाता है कि वे एक माह के उपरान्त विवादित भूमि पर यदि विपक्षीगण अपना कब्जा नहीं हटाते हैं तो वे विवादित भूमि का नापी कराकर आवेदक को कब्जा सौंपें। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, अरवल को भेजे।

लेखापित्त एवं संशोधित



प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।



प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।